प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रबंधक,
आदि पब्लिक स्कूल,
ग्राम रघुनाथपुर(चमरपुरा) पो0 लौंगीकला,
वि0खं0 ठाकुरद्वारा–मुरादाबाद।

पत्रांकः वै0सहा0/मान्यता/E-UPS-684/2020/2019–20 दिनांकः 19-03-2020.

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2019 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण/जॉच उपरान्त, शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः 11 जनवरी, 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता समिति (उच्च प्राथमिक विद्यालय) की बैठक दिनांक 18.03.2020 में लिये गये निर्णयानुसार **आदि पब्लिक स्कूल, ग्राम रघुनाथपुर(चमरपुरा) पो0 लौंगीकला, वि0खं0 ठाकुरद्वारा –मुरादाबाद को कक्षा –6 से कक्षा–8 तक की अंग्रेजी माध्यम से अस्थायी औपबन्धिक** मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती हैं कि इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो एक वर्ष के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी। नियम/शर्तें निम्नवत् हैं:–

1. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत हो।
3. विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा ऐसोसिएशन को लाभ पहुॅचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
4. मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारू रूप में संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करायें जायेंगे तथा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
5. मान्यता प्राप्त विद्यालय में, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यकम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
6. विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।
7. विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा।
8. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधानित नीतियां तथा समय–समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से संबंधित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
10. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया–कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।
11. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग–रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
12. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
13. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायीं जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–12 (1) (सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
15. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी तथा अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।
16. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
17. विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपर्युक्त निजी भवन होना चाहिए तथा महायोजना/सेक्टर प्लान में भू–उपयोग विद्यालय के नाम अंकित हो ए विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य है।
18. दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुॅच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों व पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालय भवन की मजबूती, सुरक्षा एवं रख–रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधतंत्र का होगा।
19. विद्यालय में अग्निशमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।
20. उच्च प्राथमिक के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र संख्या 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र–छात्राओं का प्रवेश दिया जाये, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो। प्रत्येक कक्षा–कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रू से होनी चाहिए।
21. उच्च प्राथमिक स्तर की 3 कक्षायें, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग–अलग कक्ष, छात्र/छात्राओं त अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक–पृथक मूत्रालय, शौचालय एवं हाथ साफ करने की समुचित व्यवस्था तथा पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी व समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
22. खेलकूद के लिये विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप पर्याप्त कीड़ा स्थल उपलब्ध होना चाहिए। जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्र कर सकते हों।

कमशः 2–पर–

23. विद्यालय में छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें, खेल–कूद का सामान, मानचित्र, विभिन्न शैक्षिक चार्ट, सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तके तथा पत्र–पत्रिकाओं, पाठयकमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भौगोलिक नक्शों, ग्लोब, विषय से संबंधित चार्ट उपलब्ध होने चाहिए। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण आदि की व्यवस्था विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत कर सकते हैं।
24. विद्यालय द्वारा रू 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) की धनराशि का एक स्थाई सुरक्षित कोष बनाया जाएगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिभूत किया जाएगा।
25. मान्यता के पश्चात् विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।
26. मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने निजी स्रोत से किया जायेगा।
27. उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली–1978 (यथासंशोधित) के अनुसार होंगी।
28. मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम तथा पाठय पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
29. मान्यता प्राप्त कक्षाओं के अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग (सेक्शन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।
30. विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।
31. विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
32. प्राथमिक (प्राइमरी)/ उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले अशासकीय (मान्यता प्राप्त) विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
33. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
34. विद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित है।
35. लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद को प्रेषित की जानी चाहिए।
36. विद्यालय के कर्मचारियों के लिए प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रकिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
37. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या E-UPS-684/2020 है। कृपया इसकों ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धत करने का कष्ट करें।
38. समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
39. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा–
    - (क) बालक का आयु–प्रमाण पत्र न होने पर,
    - (ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
40. विद्यालय निम्नलिखित बातों को भी सुनिश्चित करेगा :
    - (एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
    - (दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा,
    - (तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है,
    - (चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण–पत्र वितरित किया जायेगा,
    - (पाँच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्ततग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन,
    - (छः) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और
    - (सात) अध्यापक व्यक्तिक अध्यापन कियाकलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।

कृपया उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा कूटरचना/तथ्यगोपन/मान्यता की शर्तो में उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधाधिकरण का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद–विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(योगेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।

पृ0सं0/वै0सहा0/मान्यता/ /2019–20 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
3. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
7. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मुरादाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।